सं-017/वी.जी.एल./023
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए, नई दिल्ली
दिनांक: 17.08.2017

<u>परिपत्र सं0 08/08/17</u>

विषय: सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2017 का अनुपालन ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग राष्ट्र का शीर्षस्थ सत्यनिष्ठ संस्थान होने के नाते, सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता तथा जवाबदेही को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन करना आयोग की बहु-आयामी गतिविधियों का भाग है जिसमें एक योजना यह है कि भ्रष्टाचार से संघर्ष करने तथा इसका निवारण करने हेतु सभी पणधारियों को सामूहिक रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए तथा भ्रष्टाचार से उत्पन्न खतरों तथा इसके अस्तित्व, तथा इसकी गंभीरता के संबंध में जन जागरूकता बढ़ाई जाए। आयोग ने निर्णय लिया है कि इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन 30 अक्तूबर से 4 नवम्बर 2017 तक **"मेरा लक्ष्य - भ्रष्टाचार मुक्त भारत"** विषय पर किया जाएगा।

2. प्राधिकारी का दायित्व सौंपे गए किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए लाभ प्राप्त करने हेतु बेइमान अथवा अनैतिक आचरण किए जाने को भ्रष्टाचार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह एक वैश्विक संवृत्ति है, जो समाज के प्रत्येक स्तर को किसी न किसी रूप में प्रभावित कर रही है। भ्रष्टाचार, राजनीतिक विकास, लोकतंत्र, आर्थिक विकास, वातावरण, लोगों के स्वास्थ्य सहित अनेकों क्षेत्रों को दुर्बल बना देता है। अत:, यह अत्यावश्यक है कि जनता को सुग्राही बनाया जाए तथा आयोग के भ्रष्टाचार-रोधी प्रयासों में प्रेरित किया जाए।

3. प्रक्रियाओं में सर्वांगी परिवर्तन, न्यूनतम स्वनिर्णय, कम सार्वजनिक इंटरफेस, प्रौद्योगिकी आधारित खरीद तथा स्वचलन के साथ ई-अभिशासन से भ्रष्टाचार से निपटने में बहुत मदद मिलेगी। अत:, आयोग सभी संगठनों/विभागों को सलाह देता रहा है कि भ्रष्टाचार से निपटने के लिए प्रभावी निवारक उपाय करें तथा अपनी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाएं। सभी संगठनों को अपने क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों में भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसलिए, आयोग ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2017 का मुख्य विषय "**मेरा लक्ष्य-भ्रष्टाचार मुक्त भारत**" चुना है।

4. सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा सभी अन्य संगठनों में 30 अक्तूबर, 2017 को प्रात: 11.00 बजे लोक सेवकों द्वारा सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा लेने (प्रति संलग्न - **परिशिष्ट `क`**) के साथ आरंभ किया जाएगा। यह नोट किया जाए कि लोक सेवकों द्वारा पहले ली जा रही प्रतिज्ञा के स्थान पर अब सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा ली जाएगी।

5. इन सभी संगठनों को यह सलाह भी दी जाती है कि अपने संगठन के भीतर तथा जनता/नागरिकों दोनों ही के लिए इस विषय से सम्बद्ध गतिविधियां निम्नानुसार आयोजित करें :-

क. संगठन के भीतर आयोजित की जाने वाली गतिविधियां :

क1. सभी कर्मचारियों द्वारा सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा ली जाए। कर्मचारियों को वेबसाईट पर ई-प्रतिज्ञा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जो कर्मचारी मौखिक रूप से प्रतिज्ञा ले रहे हों उन्हें वेबसाईट के माध्यम से इसे रिकार्ड करने की सलाह दी जाए।

क2. निवारक सतर्कता गतिविधियों, पर्दाफाश प्रणाली तथा अन्य भ्रष्टाचार-रोधी उपायों पर पुस्तिकाएं/पर्चे बांटना ।

क3. संगठन की नीतियों/प्रक्रियाओं तथा निवारक सतर्कता उपायों पर कर्मचारियों तथा अन्य पणधारियों के लिए कार्यशालाएं/सुग्राहीकरण कार्यक्रम आयोजित करना।

क4. व्यापक प्रचार तथा जागरूकता के लिए सतर्कता मुद्दों, सर्वांगी सुधारों तथा अंगीकृत उपयोगी पद्धतियों पर पत्रिकाओं/सूचना पत्रिकाओं के विशेष अंक जारी करना।

क5. कर्मचारियों तथा उनके परिवार के लिए भ्रष्टाचार-रोधी विषयों पर विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी आदि आयोजित करवाना ।

क6. कर्मचारी/उपभोक्ता अनुकूल सूचना के प्रचार के लिए संगठन की वेबसाईट का उपयोग करना तथा समस्या निवारण के उपाय उपलब्ध कराना।

क7. उन व्यक्तियों द्वारा ई-सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा की संकल्पना को बढ़ावा देना जिनके साथ संगठन संबंध रखता है।

ख. जनसाधारण/नागरिकों के लिए विशिष्ट गतिविधियाँ:

ख1. कार्यालयों/क्षेत्रीय इकाईयों तथा जनसंपर्क स्थानों (अर्थात बैंकों की शाखाओं, पैट्रोल पंपों, रेलवे स्टेशनों, विमानपत्तनों आदि) में मुख्य स्थानों पर विज्ञापन बोर्ड, बैनर, पोस्टर आदि प्रदर्शित करना तथा पर्चों का वितरण करना ।

ख2. उपभोक्ता सेवाओं/गतिविधियों वाले संगठनों द्वारा नागरिकों/उपभोक्ताओं के लिए समस्या निवारण शिविरों का आयोजन करना। इसी तरह से, जहाँ भी आवश्यकता हो, विक्रेताओं का सम्मेलन आयोजित किया जाए। यह अपेक्षा की जाती है कि

संगठनों द्वारा इन शिविरों का आयोजन केवल मुख्यालय में ही नहीं अपितु उनकी समुचित क्षेत्रीय इकाईयों में भी किया जाए।

ख3. आयोग ने पिछले वर्ष `**सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा**` की संकल्पना पर विचार किया था। अत:, दो सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञाएं उपलब्ध हैं, पहली प्रतिज्ञा नागरिकों का समर्थन एवं प्रतिबद्धता प्राप्त करने के लिए है तथा दूसरी प्रतिज्ञा कॉरपोरेट/संस्थाओं/फर्मों आदि के लिए उपलब्ध हैं **(परिशिष्ट `क` एवं `ख`)**। सभी कर्मचारियों, उनके परिवारों, विक्रेताओं/ आपूर्तिकारों/ ठेकेदारों/ पणधारियों/ छात्रों/ नागरिकों आदि के मध्य `सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा` का प्रसार एवं प्रचार करने की दिशा में सभी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा नवीन एवं ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है ताकि आयोग की सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा की पहल में व्यापक सहभागिता प्राप्त की जा सके।

ऑनलाइन `सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा` आयोग की वेबसाईट http://www.cvc.nic..in पर उपलब्ध है तथा मंत्रालयों/संगठनों द्वारा उपलब्ध कराई गई हाइपर लिंक के माध्यम से भी प्रतिज्ञा ली जा सकती है।

ख4. विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के छात्रों के मध्य भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए बल देना, आयोग चाहता है कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की प्रत्येक क्षेत्रीय इकाई/शाखा द्वारा कम से कम 2 विद्यालयों तथा 3 महाविद्यालयों में छात्रों तक पहुँचने के लिए विशेष प्रयत्न किए जाने चाहिए।

इस संबंध में, नैतिक मूल्यों, नीतिशास्त्र, सुशासन पद्धतियों आदि पर विभिन्न कार्यकलाप जैसे व्याख्यान, पैनल चर्चा, वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी, निबंध लेखन, स्लोगन/वक्तृत्वकला/कार्टून/पोस्टर प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन किया जा सकता है ताकि भ्रष्टाचार पर सार्थक बहस हो सके तथा विद्यालयों/महाविद्यालयों/व्यवसायिक महाविद्यालयों के छात्रों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पूरे राष्ट्र के शहर/कस्बे व्यापक रूप से कवर किए जा सकें, यह प्रस्ताव किया जाता है कि सभी विभिन्न संगठन तथा उनकी क्षेत्रीय इकाईयाँ/शाखाएँ, शहरों/कस्बों में विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में विशिष्ट गतिविधियाँ आयोजित करें जैसा कि **परिशिष्ट `ग` तथा `घ`** में दिया गया है।

ख5. विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में आयोजित गतिविधियाँ एक निर्धारित अवधि तक चलती रहनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि युवा पीढ़ी के मन में नैतिक मूल्य स्थायी रूप से गहराई तक उतरे हैं। अत:, सभी संगठन, विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में `**सत्यनिष्ठा क्लब**` की स्थापना को प्रोत्साहित करें क्योंकि बच्चे राष्ट्र की भविष्य की संपत्ति हैं तथा उनमें नैतिक मूल्यों को विकसित करना महत्वपूर्ण है।

ख6. भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों पर नागरिकों को सुग्राही बनाने के लिए ग्राम पंचायतों (ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों) में जागरूकता का प्रचार करने हेतु "**ग्राम सभा जागरूकता**" आयोजित करें। पिछले वर्ष की तरह, इस वर्ष भी विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, कम से कम दो ग्राम पंचायतों में `ग्राम सभा जागरूकता` आयोजित करने के लिए अपनी प्रत्येक शाखा से अनुरोध करें। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अतिरिक्त, अन्य संगठन भी जहाँ संभव हो वहाँ `ग्राम सभा जागरूकता` आयोजित करें।

इस संबंध में, "ग्राम सभा जागरूकता" आयोजित करने की कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए तथा इसे मॉनिटर करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य सतर्कता अधिकारी, अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक या उनके द्वारा नामित व्यक्ति सहित अपने सर्कल तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के अध्यक्षों शाखा प्रबंधकों, सतर्कता प्रबंधकों तथा सतर्कता अधिकारियों के साथ एक बैठक/विडियो कान्फ्रेसिंग का आयोजन करें। क्षेत्रीय कार्यालय के अध्यक्ष (अथवा सर्कल के अध्यक्ष यदि कोई क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है तो) अपनी अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली शाखाओं द्वारा इस कार्यकलाप के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करें। उन कार्यकलापों की निर्देशक सूची जिन्हें "ग्राम सभा जागरूकता" के भाग के रूप में आयोजित किया जा सकता है, परिशिष्ट `ङ` में दी गई है।

ख7. ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में "ग्राम सभा जागरूकता" का आयोजन यथेष्ट है, जबकि शहरों में, `**सम्मेलन/कार्यशाला**` आयोजित करके जनसाधारण को भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा में शामिल किया जा सकता है। अत:, सभी संगठनों से अनुरोध है कि अपने मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों में कम से कम एक ऐसा सम्मेलन आयोजित करें।

इसी तरह, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी यह सुनिश्चित करें कि ब्लॉक मुख्यालय और जिला मुख्यालय में स्थित उनकी शाखाएँ इन सम्मेलनों को प्रत्येक ब्लाक तथा प्रत्येक जिला मुख्यालय में आयोजित करें। इस उद्देश्य के लिए विभिन्न बैंक शाखाएँ, ब्लॉक तथा जिला स्तर पर एक दूसरे के साथ समन्वय करें।

ख8. संगठन इन कार्यकलापों का आयोजन भी करवा सकते हैं जैसे तेज चाल/लंबी दौड़/सायकिल दौड़ आदि अथवा राष्ट्र में कम से कम एक स्थान पर मानव श्रृंखला का आयोजन करें जिसका समाज के सभी वर्गों में व्यापक प्रभाव होता है।

ख9. ग्राम सभाएं तथा सम्मेलन आयोजित करते समय गैर-सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र के निकायों, अन्य संस्थानों, सेवा संगठनों तथा स्थानीय जनता की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।

ख10. जागरूकता का प्रचार करने के लिए **सोशल मीडिया**, बड़ी संख्या में एस.एम.एस/ई-मेल, व्हाट्सअप, इलैक्ट्रानिक तथा प्रिंट मीडिया आदि का **व्यापक** प्रयोग करें।

ख11. **सतर्कता स्टडी सर्कल भी** सतर्कता जागरूकता सप्ताह में इन कार्यकलापों में से कोई या सभी आयोजित करके सक्रिय रूप से सहभागी बन सकते हैं।

6. आयोग सभी संगठनों से यह भी आशा करता है कि वे सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार उन्मूलन करने के आयोग के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यकलापों को पूरे उत्साह तथा जोश के साथ आयोजित करेंगे। यद्यपि, सभी कार्यकलापों को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान आयोजित करने की आवश्यकता है तथापि, अत्यावश्यकता/विद्यालय के अवकाश आदि के मामले में इन्हें सतर्कता जागरूकता सप्ताह से पहले या बाद में आयोजित किया जा सकता है।

7. सभी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा सप्ताह के अनुपालन की रिपोर्ट संलग्न प्रपत्र (**परिशिष्ट `च**) के अनुसार केन्द्रीय सतर्कता आयोग को दिनांक 30 नवम्बर, 2017 तक भेजी जाए।

8. यह अधिसूचना आयोग की वेबसाईट http://www.cvc.nic.in. पर भी उपलब्ध है।

ह0/-

(नीलम साहनी)

सचिव

संलग्न : यथा उपर्युक्त

सेवा में

i) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव ।
ii) सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव ।
iii) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ।
iv) अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग ।
v) मुख्य चुनाव आयुक्त, निर्वाचन आयोग ।
vi) सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों/वित्तीय संस्थानों/स्वायत्त संगठनों/समितियों के मुख्य कार्यकारी ।
vii) मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों/वित्तीय संस्थानों/स्वायत्त संगठनों/समितियों के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी ।

परिशिष्ट `क`

सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

मेरा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है । मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिल कर कार्य करने की आवश्यकता है ।

मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरूद्ध संघर्ष में साथ देना चाहिए ।

अतः, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि :-

- जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूँगा ;
- ना तो रिश्वत लूँगा और ना ही रिश्वत दूँगा ;
- सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शी रीति से करूँगा ;
- जनहित में कार्य करूँगा ;
- अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूँगा ;
- भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट उचित एजेन्सी को दूँगा ।

परिशिष्ट `ख

संगठनों के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

हमारा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है । हमारा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिल कर कार्य करने की आवश्यकता है ।

इस दिशा में स्वयं को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने तथा रक्षोपाय, सत्यनिष्ठा ढांचा तथा नीति-संहिता स्थापित करने के अपने उत्तरदायित्व को हम स्वीकार करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम किसी भी भ्रष्ट आचरण का हिस्सा नहीं हैं तथा भ्रष्टाचार के दृष्टांतों पर हम अत्यधिक सख्ती से कार्रवाई करते हैं ।

हम मानते हैं कि भ्रष्टाचार उन्मूलन करने में तथा अपने कार्यों के सभी पहलुओं में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता तथा सुशासन के उच्चतम मानक बनाए रखने के लिए, एक संगठन होने के नाते हमें सामने से नेतृत्व करना होगा ।

अतः, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि :-

- हम नीतिपरक कार्य पद्धतियों को बढ़ावा देंगे तथा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की संस्कृति को प्रोत्साहन देंगे ;
- हम ना तो रिश्वत देंगे और ना ही रिश्वत लेंगे ;
- हम पारदर्शिता, जिम्मेवारी तथा निष्पक्षता पर आधारित निगमित सुशासन की प्रतिज्ञा करते हैं ;
- हम कार्यों के संचालन में संबद्ध कानूनों, नियमावलियों तथा अनुपालन प्रक्रियाओं का पालन करेंगे ;
- हम अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक नीति-संहिता अपनाएंगे ;
- हम अपने कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के ईमानदार निष्पादन के लिए, उनके कार्य से संबद्ध नियमों, विनियमों आदि के बारे में सुग्राही बनाएंगे ;
- हम समस्याओं तथा कपटपूर्ण कार्यकलापों की सूचना देने के लिए समस्या समाधान तथा पर्दाफाश तंत्र का प्रबंध करेंगे ;
- हम संबंधित पक्षों एवं समाज के अधिकारों तथा हितों का संरक्षण करेंगे ।

महाविद्यालयों तथा विद्यालयों में विशिष्ट कार्यकलापों के लिए संगठन-वार सूची		
क्र0 सं0	संगठन	शहर/कसबा
1.	भारतीय स्टेट बैंक	नई दिल्ली, लखनऊ, मुरादाबाद, पटना, गया, बोकारो, कटक, भुवनेश्वर, रायपुर, इंदौर, अहमदाबाद, सूरत, अमरावती, थाणे, ग्रेटर मुम्बई, तिरुअनंतपुरम, कोची, मदुरै, बीदर, अरनाकुलम, सिहर, संबलपुर, सूरतकल, जालंधर, लुधियाना, अमृतसर, पटियाला, चंडीग़ढ, हैदराबाद/सिकंदराबाद, वारंगल, विजयवाड़ा, गुंटूर, नेल्लौर, राजमुंद्री, कुरनूल, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, हुबली-धारवाड़, बंगलुरू, मैसूर, कोची, तिरुअनंतपुरम, कोझीकोड, अरनाकुलम
2.	पंजाब एंड सिंध बैंक	जालंधर, लुधियाना, अमृतसर, पटियाला, चंडीगढ़
3.	पंजाब नेशनल बैंक	जालंधर, लुधियाना, अमृतसर, पटियाला, चंडीग़ढ़, पानीपत/सोनीपत, नई दिल्ली, बरेली, झांसी, गया, रायपुर, तिरूपति
4.	आंध्रा बैंक	लुधियाना, हैदराबाद/सिकंदराबाद, वारंगल, विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा, गुंटूर, नेल्लौर, कुरनूल
5.	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	नई दिल्ली
6.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	सिलिगुड़ी, आसनसोल, दुर्गापुर, कोलकाता-हावड़ा, इम्फाल, एजवाल
7.	देना बैंक	जामनगर, भावनगर, वड़ोदरा, नासिक, भिवंडी, थाणे, नवी मुम्बई, कल्याण, ग्रेटर मुम्बई, मैहसाणा
8.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	अमरावती, औरंगाबाद, पुणे, हुबली-धारवाड़
9.	नाबार्ड	थाणे, नवी मुम्बई, ग्रेटर मुम्बई, खम्माम, मेदक, आदिलाबाद, अलवर, अम्बिकापुर, शिवपुरी, टीकमग़ढ, रतलाम, रायचूर, भरतपुर, बालाघाट, छामफरी, छिंदवाड़ा, झालावार, खारगोण, लुंगलेई, संबलपुर, बलिया
10.	आई.डी.बी.आई.	थाणे, नवी मुम्बई, ग्रेटर मुम्बई
11.	कारपोरेशन बैंक	जयपुर, बंगलुरू, मैसूर, मंगलोर, गुलबर्गा, बेलगाम, कोझीकोड, कोयम्बटूर, गोवा
12.	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	जयपुर, वाराणसी, भिवंडी, थाणे, नवी मुम्बई, कल्याण, ग्रेटर मुम्बई, बेलगांव, तिरूअनंतपुरम, अरनाकुलम, कोट्टायम, समस्तीपुर
13.	बैंक ऑफ बड़ौदा	बीकानेर, कोटा, लखनऊ, पटना, इंदौर, अहमदाबाद, वड़ोदरा, सूरत, नासिक, थाणे, नवी मुम्बई, कल्याण,

		ग्रेटर मुम्बई, सोलापुर, नागपुर, पिम्परी-चिंचवाड़, बर्नपुर, हजारीबाग, वर्धा
14.	यूको बैंक	जोधपुर, अजमेर, कोलकाता, हावड़ा, अगरतला, शिलांग, शिमला
15.	इलाहाबाद बैंक	मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद, गुवाहाटी, दुर्गापुर, कोलकाता, हावड़ा, भोपाल, जबलपुर, दीमापुर
16.	बैंक ऑफ इण्डिया	गाजियाबाद, बरेली, कानपुर, वाराणसी, गुवाहाटी, सिलिगुड़ी, धनबाद, भिलाई, रायपुर, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, राजकोट, औरंगाबाद, नासिक, भिवंडी, थाणे, नवी मुम्बई, कल्याण, ग्रेटर मुम्बई, सोलापुर, नागपुर
17.	सिडबी	लखनऊ, थाणे, नवी मुम्बई, कल्याण, ग्रेटर मुम्बई
18.	सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	पटना, सिलिगुड़ी, जबलपुर, अहमदाबाद, नासिक, पिम्परी-चिंचवाड़, ग्रेटर मुम्बई, थाणे, नवी मुम्बई
19.	केनरा बैंक	हुबली-धारवाड़, बंगलुरू, मैसूर, कोची, कोझीकोड, मदुरै, कोयम्बटूर
20.	विजया बैंक	हुबली-धारवाड़, बंगलुरू, मैसूर, गुलबर्गा, बेलगाम
21.	इण्डियन बैंक	गुंटूर, चेन्नई, सेलम, तिरूचिरापल्ली, मदुरै, कोयम्बटूर, तिरूनलवेली, पुडुचेरी
22.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	चेन्नई, सेलम, तिरूचिरापल्ली, मदुरै, कोयम्बटूर, तिरूनलवेली, पुडुचेरी
23.	सिंडीकेट बैंक	नेल्लौर, बंगलुरू, मंगलौर, गुलबर्गा, बेलगांव, तिरूअनंतपुरम, गोवा, आदिलाबाद, अरनाकुलम
24.	यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कं0	हैदराबाद/सिकंदराबाद, चेन्नई, सेलम, तिरूचिरापल्ली, मदुरै, कोयम्बटूर, तिरूनलवेली
25.	न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कं0	पटना, विशाखापत्तनम, बंगलुरू, ग्रेटर मुम्बई, थाणे, नवी मुम्बई
26.	ओरियंटल इंश्योरेंस कं0	लुधियाना, फरीदाबाद, नई दिल्ली, गाजियाबाद, इंदौर, अहमदाबाद
27.	नेशनल इंश्योरेंस कं0	चंडीग़ढ, लखनऊ, कोलकाता-हावड़ा, भुवनेश्वर, बड़ोदरा
28.	जीवन बीमा निगम	नई दिल्ली, ग्रेटर मुम्बई, कानपुर, गोरखपुर, पटना, गुवाहाटी, आसनसोल, रायपुर, भोपाल, जबलपुर, राजकोट, भावनगर, सूरत, अमरावती, औरंगाबाद, नासिक, नागपुर, हैदराबाद/सिकंदराबाद, वारंगल, विशाखापत्तनम, नेल्लौर, राजमुंद्री, तिरूअनंतपुरम, कोझीकोड, चेन्नई
29.	रेलवे/आर.डी.एस.ओ.	जम्मू, श्रीनगर, पटियाला, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, लखनऊ, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, गुवाहाटी, कोलकाता-हावड़ा, धनबाद, रांची, कटक, येल्हांका, समस्तीपुर,

		जमालपुर, कपूरथला, ख़डगपुर, पलक्क़ड
30.	आर.आई.टी.ई.एस.	गुड़गांव, दिल्ली
31.	रेलटेल	गुड़गांव, दिल्ली
32.	कोकण रेलवे का0	गोवा
33.	आई.ओ.सी.एल.	पानीपत/सोनीपत, नई दिल्ली, नोएडा, मथुरा, पटना, गुवाहाटी, कोलकाता, राजकोट, वड़ोदरा, चेन्नई, ग्रेटर मुम्बई, हल्दिया, पारादीप
34.	एचपीसीएल	नई दिल्ली/दिल्ली, विशाखापत्तनम, ग्रेटर मुम्बई, खम्माम, अलवर, यमुनानगर
35.	बीपीसीएल	गाजियाबाद, नोएडा, थाणे, नवी मुम्बई, कल्याण, कोची
36.	चैन्नई पेट्रोलियम का0 लि.	चेन्नई
37.	आयल इण्डिया	नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुवाहाटी, और असम के अन्य शहर
38.	कोल इण्डिया लि.	कोलकाता, हावड़ा
39.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	आसनसोल
40.	बीसीसीएल	धनबाद
41.	सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	रांची
42.	मेकॉन	रांची, बर्नपुर
43.	सीएमपीडीआईएल	रांची
44.	नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	उज्जैन, बिलासपुर, बीना
45.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	नागपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा
46.	आर.ई.सी.	नई दिल्ली/दिल्ली
47.	आर.वी.एन.एल.	नई दिल्ली/दिल्ली
48.	एन.एच.पी.सी.	फरीदाबाद/नई दिल्ली, चम्बा, कारगिल, कुल्लू
49.	एन.पी.सी.सी.	फरीदाबाद/नई दिल्ली
50.	एन.टी.पी.सी.	नई दिल्ली, वाराणसी, फरक्का, कोरबा, तालचेर
51.	दामोदर घाटी निगम	कोलकाता, आसनसोल, हजारीबाग
52.	पी.जी.सी.आई.एल.	जम्मू, श्रीनगर, गुड़गांव, फरीदाबाद, भुवनेश्वर, हैदराबाद/सिकंदराबाद, शिलांग, खम्माम, निजामाबाद, महबूबनगर, मचेरला, रायचूर
53.	टी.एच.डी.सी.	देहरादून
54.	न्यूक्लियर पॉवर का0	तिरूनलवेली, ग्रेटर मुम्बई, कलपक्कम
55.	एन.ई.ई.पी.सी.ओ.	शिलांग
56.	एस.जे.वी.एन.एल.	शिमला, अहमदनगर, हमीरपुर
57.	भारतीय नौवहन निगम	थाणे, नवी मुम्बई, ग्रेटर मुम्बई
58.	मुम्बई पत्तन न्यास	थाणे, नवी मुम्बई, ग्रेटर मुम्बई
59.	जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास	थाणे, नवी मुम्बई, ग्रेटर मुम्बई
60.	कोलकाता पत्तन न्यास	कोलकाता, हावड़ा
61.	कांदला पत्तन न्यास	जामनगर, भावनगर
62.	चेन्नई पत्तन न्यास	चेन्नई

63.	विशाखापत्तनम पत्तन न्यास	विशाखापत्तनम
64.	मोरमुगाओ पत्तन न्यास	गोवा
65.	ओ.एन.जी.सी.	देहरादून, नई दिल्ली, ग्रेटर मुम्बई, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजमुंद्री, अगरतला, मेहसाना, जोहराट
66.	गेल	नई दिल्ली/दिल्ली, मेरठ, नोएडा, उज्जैन, भोपाल, चेन्नई, बर्नपुर
67.	सेल	नई दिल्ली/दिल्ली, दुर्गापुर, बोकारो, भिलाई, सेलम
68.	एच.सी.एल.	कोलकाता, हावड़ा, बालाघाट
69.	बामर लॉरी एंड कं0 लि0	कोलकाता
70.	गोवा शिपयार्ड	गोवा
71.	बी.ई.एम.एल.	बंगलुरू, मैसूर
72.	एम.आर.पी.एल.	मेंगलौर
73.	एच.एल.एल.	कोची, तिरूअनंतपुरम
74.	एफ.ए.सी.टी. लि0	कोची
75.	आइ.आर.ई.एल. लि0	कोची, ग्रेटर मुम्बई
76.	भारत इलेक्ट्रानिक्स लि0	बंगलुरू, गाजियाबाद
77.	नेवेली लिग्नाइट का0 लि0	चेन्नई, मदुरै, तुतीकोरिन
78.	बी.एस.एन.एल.	अजमेर, सहारनपुर, मेरठ, गया, ग्वालियर, जामनगर, हावड़ा, भोपाल, जबलपुर, दीमापुर
79.	इन्सट्रूमेंटेशन लि0	जयुपर, कोटा
80.	जी.आर.एस.ई.	कोलकाता, हावड़ा
81.	एन.एम.डी.सी.	हैदराबाद/सिकंदराबाद
82.	आयुध निर्माणी बोर्ड	चंडीग़ढ, देहरादून, सहारनपुर, कानपुर, मुरादाबाद, जबलपुर, पुणे, कोयम्बटूर
83.	बी.आर.ओ.	जम्मू, श्रीनगर, शिमला
84.	बी.डी.एल.	हैदराबाद/सिकंदराबाद, मेडक, रंगारेड्डी
85.	मिधानी	हैदराबाद/सिकंदराबाद, रंगारेड्डी
86.	हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लि.	लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद/सिकंदराबाद, नासिक, बंगलुरू
87.	आई.टी.आई. लि0	बरेली
88.	एन.टी.सी. लि0	दिल्ली, कोयम्बटूर, नांदेड़
89.	ई.पी.एफ.ओ.	फरीदाबाद, नई दिल्ली, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, बोकारो, रायपुर, इंदौर, सूरत, चेन्नई
90.	एन.बी.सी.सी.	नई दिल्ली/दिल्ली
91.	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि0	बंगलुरू, गाजियाबाद
92.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	नई दिल्ली, ग्रेटर मुम्बई, राजकोट, कोझीकोड, दीमापुर, इम्फाल, अगरतला, पोर्ट ब्लेयर
93.	भेल	रूड़की, नई दिल्ली, भोपाल, तिरूचिरापल्ली, खम्माम, अमेठी,
94.	नालको	कटक, भुवनेश्वर

95.	इरकॉन	हाजीपुर
96.	एन.आर.एल.	नुमालीग़ढ

नोटः ऐसे संगठन जिनका नाम उपर्युक्त सूची में उल्लिखित नहीं है, वे अपने स्थान पर या किसी भी उचित/सुविधाजनक स्थान पर कार्यकलाप आयोजित कर सकते हैं।

परिशिष्ट `घ

महाविद्यालयों तथा विद्यालयों में विशिष्ट कार्यकलापों के लिए शहर-वार सूची		
क्र0 सं0	शहर/कसबा	संगठन
1.	आदिलाबाद	नाबार्ड, सिंडिकेट बैंक
2.	अलवर	नाबार्ड, एच.पी.सी.एल.
3.	इलाहाबाद	रेलवे/आर.डी.एस.ओ., इलाहाबाद बैंक
4.	अमेठी	भेल
5.	अमृतसर	भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक
6.	अंबिकापुर	नाबार्ड
7.	अजमेर	भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक, बी.एस.एन.एल.
8.	आसनसोल	एल.आई.सी., यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि., दामोदर घाटी निगम
9.	अमरावती	एस.बी.आई., एल.आई.सी., बैंक ऑफ महाराष्ट्र
10.	अहमदाबाद	एस.बी.आई., ओरियंटल इंश्योरेंस कं0., ओ.एन.जी.सी., बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
11.	अहमदनगर	एस.जे.वी.एन.एल.
12.	एजवाल	यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया, बी.एस.एन.एल.
13.	औरंगाबाद	जीवन बीमा निगम, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया
14.	अगरतला	ओएनजीसी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, यूको बैंक
15.	बालाघाट	नाबार्ड, एचसीएल
16.	बलिया	नाबार्ड
17.	बीकानेर	रेलवे/आरडीएसओ, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा
18.	भुवनेश्वर	पीजीसीआईएल, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, एसबीआई, नालको
19.	बोकारो	एसबीआई, ईपीएफओ
20.	भिलाई	बैंक ऑफ इंडिया
21.	भोपाल	भेल, गेल, एलआईसी, इलाहाबाद बैंक
22.	भावनगर	एलआईसी, कांडला पत्तन न्यास, देना बैंक, बीएसएनएल
23.	भरतपुर	नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक
24.	बीदर	एसबीआई
25.	बिलासपुर	नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
26.	बीना	एनसीएल
27.	भिवंडी	देना बैंक, यूनियन बैंक इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया
28.	बेलगाम	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, सिंडिकेट बैंक, विजया बैंक
29.	बरेली	पंजाब नेशनल बैंक, आईटीआई लिमिटेड, बैंक ऑफ इंडिया
30.	बंगलुरू	कॉरपोरेशन बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, सिंडिकेट बैंक, केनरा बैंक, विजया बैंक, बीईएमएल
31.	बर्नपुर	सेल, मेकॉन, बैंक ऑफ इंडिया

32.	चंडीगढ़	भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आयुध निर्माणी बोर्ड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी कं0
33.	छमफरी	नाबार्ड
34.	कोयंबतूर	आयुध निर्माणी बोर्ड, ईपीएफओ, एनटीसी लिमिटेड, कॉरपोरेशन बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक
35.	कटक	रेलवे / आरडीएसओ, एसबीआई, नालको, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी
36.	चम्बा	एनएचपीसी
37.	छतरपुर	डब्ल्यूसीएल
38.	छिंदवाडा	नाबार्ड, डब्ल्यूसीएल
39.	चेन्नई	आईओसीएल, गेल, एलआईसी, ईपीएफओ, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई पत्तन न्यास, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन
40.	धनबाद	रेलवे/आरडीएसओ, बीसीसीएल
41.	देहरादून	आयुध निर्माणी बोर्ड, ओएनजीसी, टीएचडीसी
42.	दुर्गापूर	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक
43.	दिल्ली/नई दिल्ली	पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, ओएनजीसी, भेल, राइट्स, रेलटेल, एनएचपीसी, एनपीसीसी, आईओसीएल, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एनटीपीसी, गेल, एलआईसी, एनबीसीसी, आरईसी, रेल विकास निगम लिमिटेड, एचपीसीएल, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ईपीएफओ, एनटीसी लि0
44.	दीमापुर	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, बीएसएनएल, इलाहाबाद बैंक
45.	एरनाकुलम	भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक
46.	फरीदाबाद	पीजीसीआईएल, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, एनएचपीसी, एनपीसीसी, ईपीएफओ
47.	फरक्का	एनटीपीसी
48.	गाजियाबाद	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, इलाहाबाद बैंक, बीपीसीएल
49.	गोवा	ईपीएफओ, कॉरपोरेशन बैंक, सिंडिकेट बैंक, गोवा शिपयार्ड, कोंकण रेलवे, मोरमुगाओ पत्तन न्यास
50.	गोरखपुर	रेलवे/आरडीएसओ, एलआईसी
51.	गुवाहाटी	रेलवे/आरडीएसओ, आईओसीएल, एलआईसी, इलाहाबाद बैंक, ऑयल इंडिया
52.	गुड़गांव	पीजीसीआईएल, राइट्स, रेलटेल
53.	गया	पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बीएसएनएल
54.	ग्वालियर	बीएसएनएल
55.	ग्रेटर मुम्बई	ओएनजीसी, आईओसीएल, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एलआईसी, एचपीसीएल, देना बैंक, नौवहन निगम, मुम्बई पत्तन न्यास, जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास, नाबार्ड, आईडीबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, सेंट्रल

		बैंक ऑफ इंडिया, आईआरईएल लिमिटेड, न्यूक्लियर पॉवर का0
56.	ग्रेटर नोएडा	ऑयल इंडिया
57.	गुंटूर	आंध्रा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक
58.	गुलबर्ग	कॉरपोरेशन बैंक, सिंडिकेट बैंक, विजया बैंक
59.	हल्दिया	आईओसीएल
60.	हमीरपुर	एसजेवीएनएल
61.	हाजीपुर	इरकॉन
62.	हजारीबाग	डीवीसी, बैंक ऑफ इंडिया
63.	हावड़ा	रेलवे / आरडीएसओ, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, कोल इंडिया लिमिटेड, एचसीएल, जीआरएसई, केपीटी, यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक
64.	हुबली-धारवाड़	बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, विजया बैंक
65.	हैदराबाद/ सिकंदराबाद	पीजीसीआईएल, आंध्रा बैंक, एलआईसी, भारतीय स्टेट बैंक, एनएमडीसी, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बीडीएल, मिधानी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी
66.	इंदौर	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, एसबीआई, ईपीएफओ, बैंक ऑफ बड़ौदा
67.	इम्फाल	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, बीएसएनएल
68.	जम्मू	रेलवे /आरडीएसओ, पीजीसीआईएल, बीआरओ
69.	जामनगर	कांडला पत्तन न्यास, देना बैंक, बीएसएनएल
70.	जयपुर	रेलवे /आरडीएसओ, ईपीएफओ, भारतीय स्टेट बैंक, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड
71.	जोधपुर	रेलवे /आरडीएसओ, भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक
72.	जोरहाट	ओएनजीसी
73.	झांसी	रेलवे /आरडीएसओ, पंजाब नेशनल बैंक
74.	झालावाड़	नाबार्ड
75.	जालंधर	भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक
76.	जबलपुर	आयुध निर्माणी बोर्ड, एलआईसी, इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
77.	जमालपुर	रेलवे
78.	कानपुर	रेलवे /आरडीएसओ, आयुध निर्माणी बोर्ड, एलआईसी, ईपीएफओ, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
79.	करीमनगर	नाबार्ड
80.	कारगिल	एनएचपीसी
81.	कपूरथला	रेलवे
82.	कल्पक्कम	न्यूक्लियर पॉवर का0 लि0
83.	खम्मम	नाबार्ड, पीजीसीआईएल, एचपीसीएल, भेल
84.	खरगोन	नाबार्ड
85.	खड़गपुर	रेलवे
86.	कोलकाता	रेलवे/आरडीएसओ, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, आईओसीएल,

		यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, दामोदर घाटी निगम, कोल इंडिया लिमिटेड, एचसीएल, बामर लॉरी एंड कंपनी, जीआरएसई, केपीटी, ईपीएफओ, इलाहाबाद बैंक
87.	कोच्चि	एसबीआई, बीपीसीएल, एचएलएल, एफएसीटी लिमिटेड, आईआरईएल
88.	कोझिकोड	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एलआईसी, कॉरपोरेशन बैंक, भारतीय स्टेट बैंक
89.	कल्याण	देना बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बीपीसीएल, सिडबी
90.	कुरनूल	आंध्रा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक
91.	कुल्लू	एनएचपीसी
92.	कोरबा	एनटीपीसी
93.	कोटा	रेलवे /आरडीएसओ, भारतीय स्टेट बैंक, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड
94.	कोट्टायम	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
95.	लखनऊ	रेलवे /आरडीएसओ, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, सिडबी
96.	लुधियाना	भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी
97.	लुंगलेई	नाबार्ड
98.	मथुरा	आईओसीएल
99.	मछेरला	पीजीसीआईएल
100.	मेडक	बीडीएल, नाबार्ड
101.	महबूबनगर	पीजीसीआईएल
102.	मेहसाणा	देना बैंक, ओएनजीसी
103.	मेरठ	गेल, बीएसएनएल
104.	मुरादाबाद	एसबीआई
105.	मैसूर	कॉरपोरेशन बैंक, केनरा बैंक, विजया बैंक, बीईएमएल
106.	मदुरई	एसबीआई, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन
107.	मंगलौर	कॉरपोरेशन बैंक, सिंडिकेट बैंक, एमआरपीएल
108.	नोएडा	आईओसीएल, गेल, बीपीसीएल, ऑयल इंडिया
109.	नांदेड़	एनटीसी
110.	नासिक	एलआईसी, देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड,
111.	नागौर	एलआईसी, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि0, बैंक ऑफ बड़ौदा
112.	नवी मुंबई	देना बैंक, नौवहन निगम, मुंबई पत्तन न्यास, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, नाबार्ड, आईडीबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बीपीसीएल, सिडबी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
113.	नेल्लोर	आंध्रा बैंक, एलआईसी, भारतीय स्टेट बैंक, सिंडिकेट बैंक
114.	निजामाबाद	पीजीसीआईएल
115.	नुमालीगढ़	एनआरएल

116.	पटना	आईओसीएल, एसबीआई, एलआईसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
117.	पलक्क़ड	रेलवे
118.	पारादीप	आईओसीएल
119.	पानीपत	पंजाब नेशनल बैंक, आईओसीएल
120.	पोर्ट ब्लेयर	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, बीएसएनएल
121.	पुडुचेरी	इंडियन बैंक
122.	पुणे	आयुध निर्माणी बोर्ड, बैंक ऑफ महाराष्ट्र
123.	पटियाला	रेलवे /आरडीएसओ, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक
124.	पिंपरी चिंचवाड	बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
125.	रांची	रेलवे /आरडीएसओ, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, मेकॉन, सीएमपीडीआईएल
126.	रंगारेड्डी	बीडीएल, मिधानी
127.	रायचूर	नाबार्ड, पीजीसीआईएल
128.	रायपुर	पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, एलआईसी, ईपीएफओ
129.	राजमुंद्री	ओएनजीसी, एलआईसी, भारतीय स्टेट बैंक
130.	राजकोट	आईओसीएल, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एलआईसी
131.	रतलाम	नाबार्ड
132.	रूड़की	भेल
133.	सेहोर	एसबीआई
134.	सम्बलपुर	एसबीआई, नाबार्ड
135.	समस्तीपुर	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रेलवे
136.	श्रीनगर	रेलवे /आरडीएसओ, पीजीसीआईएल, बीआरओ
137.	शिलॉंग	पीजीसीआईएल, यूको बैंक, नीपको
138.	सोनीपत	पंजाब नेशनल बैंक, आईओसीएल
139.	सूरत	ओएनजीसी, एसबीआई, एलआईसी, ईपीएफओ, बीएसएनएल
140.	सूरतकल	एसबीआई
141.	सहारनपुर	आयुध निर्माणी बोर्ड, बीएसएनएल
142.	सिलीगुड़ी	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
143.	सोलापुर	बैंक ऑफ बड़ौदा
144.	शिमला	बीआरओ, यूको बैंक, एसजेवीएनएल
145.	शिवपुरी	नाबार्ड
146.	सेलम	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक
147.	तालचेर	एनटीपीसी
148.	ठाणे	नौवहन निगम, मुंबई पत्तन न्यास, जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास, नाबार्ड, आईडीबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीपीसीएल, सिडबी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
149.	तिरुवनंतपुरम	एसबीआई, एलआईसी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एचएलएल

150.	टीकमग़ढ	नाबार्ड
151.	तिरूनलवेली	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, इंडियन बैंक, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन
152.	तिरूचरापल्ली	बीएचईएल, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक
153.	तिरुपति	पंजाब नेशनल बैंक
154.	तूतीकोरिन	नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन
155.	उज्जैन	गेल
156.	विशाखापत्तनम	आंध्रा बैंक, एलआईसी, एचपीसीएल, विशाखापत्तनम पत्तन न्यास
157.	वाराणसी	एनटीपीसी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
158.	विजयवाड़ा	आंध्रा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक
159.	वडोदरा	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओएनजीसी, आईओसीएल, देना बैंक
160.	वारंगल	आंध्रा बैंक, एलआईसी, भारतीय स्टेट बैंक, पीजीसीआईएल
161.	वर्धा	बैंक ऑफ इंडिया
162.	येलहन्का	रेलवे
163.	यमुनानगर	एचपीसीएल

नोटः ऐसे संगठन जिनका नाम उपर्युक्त सूची में उल्लिखित नहीं है, वे अपने स्थान पर या किसी भी उचित/सुविधाजनक स्थान पर कार्यकलाप आयोजित कर सकते हैं।

परिशिष्ट -`ङ

“मेरा लक्ष्य - भ्रष्टाचार मुक्त भारत”

पर

सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2017 का अनुपालन

30 अक्तूबर - 4 नवम्बर

ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में “ग्राम सभा जागरूकता”आयोजित करने के लिए कार्य योजना

“ग्राम सभा जागरूकता” आयोजित करने के लिए निर्देशक कार्यकलापों की सूची निम्नलिखित है, तथापि निम्न बिन्दु (1) में निर्दिष्ट अनुसार एक बैठक आयोजित करना अनिवार्य है।

1) ग्राम पंचायतों में सभा आयोजित करें तथा सभी संबंधित पक्षों, जैसे सरपंच, ग्राम पंचायत के सदस्यों, स्वयं सहायता समूहों, मनरेगा के कार्यकर्ताओं, कृषकों, छात्रों तथा नागरिकों को आमंत्रित करें । ग्राम सभा के प्रधान/सरपंच या अन्य किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से भ्रष्टाचार के विरूद्ध जागरूकता पर व्याख्यान देने का अनुरोध किया जा सकता है, जिसके बाद चर्चा का आयोजन किया जा सकता है । सभा में देशी भाषाओं में भ्रष्टाचार-रोधी संदेश भी प्रदर्शित किए जा सकते हैं ।

2) प्रश्नोत्तरी, कार्टून बनाना, स्लोगन, पेंटिंग, रंगोली तथा पोस्टर प्रतियोगिताओं का आयोजन करें ।

3) स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों का व्यापक प्रचार करने हेतु मेले का आयोजन, प्रेरणादायक उपाय के रूप में करें ताकि वे जागरूकता उत्पन्न करने वाले प्रयासों से जुड़ सकें ।

4) ग्रामों/पंचायतों में शाम की चौपाल/सभाओं का आयोजन करें जिसके दौरान भ्रष्टाचार-रोधी विषय पर ध्यान केंद्रित करते हुए लघु नाटक/नौटंकियां/कला जत्था/लोकगीत/कठपुतली प्रदर्शन आदि का आयोजन किया जा सकता है ।

****

सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2017 पर रिपोर्ट

संगठन का नाम :

1. सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2017 के दौरान आयोजित कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण (लगभग 1000 शब्दों में)

2. सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान संगठन के भीतर तथा संगठन के बाहर आयोजित कार्यकलापों का विवरण।

क) संगठन द्वारा दिलाई गई सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

सारणी-1: **सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा**

कर्मचारियों की कुल संख्या जिन्होंने ई-प्रतिज्ञा ली है	उपभोक्ताओं की कुल संख्या जिन्होंने ई-प्रतिज्ञा ली है	नागरिकों की कुल संख्या जिन्होंने ई-प्रतिज्ञा ली है

ख) संगठन के भीतर आयोजित कार्यकलाप

सारणी-2: **प्रतियोगिताओं का आयोजन**

राज्य का नाम	शहर/स्थान	कार्यक्रम का ब्यौरा (बहस/भाषण/पैनल चर्चा आदि)	प्रथम दो विजेताओं का नाम	प्रतिभागियों की संख्या	क्या पुरस्कार जीतने वाले कार्यकलापों की प्रति संलग्न है

सारणी-3: **अन्य कार्यकलाप**

क्रम सं0	कार्यकलाप	विवरण
1.	पर्चे / बैनर वितरण	

2.	कार्यशाला/सुग्राहीकरण कार्यक्रम का आयोजन	
3.	पत्रिका/समाचार पत्र प्रकाशन	
4.	कोई अन्य कार्यकलाप	

ग) संगठन के बाहर कार्यकलाप

सारणी-4: विद्यालयों के छात्रों को शामिल करना

राज्य का नाम	शहर/कस्बा/गाँव का नाम	विद्यालय का नाम	आयोजित कार्यकलापों का विवरण (कार्यकलाप की तिथि का उल्लेख भी करें)	शामिल छात्रों की संख्या	क्या पुरस्कार जीतने वाले कार्यकलापों की प्रति संलग्न है
कुल					

सारणी-5: महाविद्यालयों के छात्रों को शामिल करना

राज्य का नाम	शहर/कस्बा/गाँव का नाम	महाविद्यालय का नाम	आयोजित कार्यकलाप का विवरण (कार्यकलाप की तिथि का उल्लेख भी करें)	शामिल छात्रों की संख्या	क्या पुरस्कार जीतने वाले कार्यकलापों की प्रति संलग्न है
कुल					

सारणी-6: "ग्राम सभा जागरूकता"

राज्य का नाम	शहर/कस्बा/गाँव का नाम	ग्राम पंचायत का नाम जहाँ ग्राम सभा जागरूकता आयोजित की गई	आयोजित कार्यकलापों का विवरण (कार्यकलाप की	भाग लेने वाले नागरिकों की संख्या

			तिथि का उल्लेख भी करें)	
कुल				

सारणी-7: "सम्मेलन/कार्यशाला"

राज्य का नाम	शहर/कस्बा/गाँव का नाम	आयोजित सम्मेलनों/कार्यशालाओं की संख्या	आयोजित कार्यकलापों का विवरण (कार्यकलाप की तिथि का उल्लेख भी करें)	भाग लेने वाले नागरिकों की संख्या

सारणी-8 अन्य कार्यकलाप

क्रम सं0	कार्यकलाप	विवरण
1.	बैनर्स/पोस्टर्स आदि प्रदर्शित करना	
2.	समस्या निवारण हेतु आयोजित कैम्पों की संख्या	
3.	सोशल मीडिया का प्रयोग	

3. **संलग्न फोटो का विवरण**

(कृपया कार्यकलाप के शीर्षक तथा स्थान और तिथि के साथ फोटो भेजें)

आयोजित कार्यकलाप का नाम	फोटो की संख्या	फोटो की साफ्ट कॉपी भेजी जा रही है या हार्ड कॉपी	यदि साफ्ट कॉपी में है, तो संलग्न सीडी की संख्या दें